<table>
<tr>
<td>तारीख हुक्म</td>
<td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

सुरेश सिंह

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर)

सू.अ.अपील संख्या–ऑनलाईन अपील संख्या 353958547754130</td>
<td>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td>
</tr>
<tr>
<td>19/12/25</td>
<td>अपीलार्थी सुरेश सिंह निवासी गोवलिया किशनपुरा पुष्कर जिला अजमेर द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.10.2025 हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम की अनुमानित डेट या मंथ से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं की सूचना व अन्य विविध सूचना के लिए प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील में रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) ने अपने पत्रांक 1262 दिनांक 02.12.2025 द्वारा अवगत करवाया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना रजिस्ट्रार राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से संबंधित होने के कारण दिनांक 28.10.2025 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अंतरित कर दी गई है तथा कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं है। इस संबंध में प्रार्थी को भी सूचित कर दिया गया है।

अतः लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर अपील स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर, जोधपुर</td>
<td></td>
</tr>
</table>

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.12.19 16:01:41 IST
Reason: Approved